एक नजर

आयुक्त शर्मा के निर्देश पर अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई

पुष्कर. कासं। नगर परिषद के नवनियुक्त आयुक्त जनार्दन शर्मा ने गुरुवार शाम को नाला क्षेत्र चामुंडा माता मंदिर के पास नगर परिषद की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई के आदेश देकर उक्त निर्माण धराशायी करवाया गया। अतिक्रमण तोड़ू दस्ते के प्रभारी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुवार शाम को नगर परिषद के आयुक्त जनार्दन शर्मा ने नाला क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान अगस्त मुनि रोड पर नगर परिषद की जमीन पर दो जगह पर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसको देखकर आयुक्त जनार्दन शर्मा ने मौका निरीक्षण कर तुरंत प्रभाव से अवैध निर्माण को तुड़वाकर अतिक्रमी को अतिक्रमण नहीं करने के लिए पाबंद किया।

कर्मचारियों ने ली मतदान कराने की शपथ

पुष्कर. कासं। नगर परिषद के सभी कर्मचारियों ने 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के पर्व पर लोकतंत्र मे भागीदारी निभाते हुए मतदान करने एवं मतदान कराने की शपथ ली। इस मौके पर नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता रामनिवास मीणा ने मौजूद परिषद के निरीक्षक लोकेंद्र सिंह, कार्यालय सहायक योगेश शर्मा, कनिष्ठ लिपिक कमल शर्मा, रामकिशोर सैनी, हीरालाल बच्छानी, दौलत राम, जमादार कैलाश चंद, दीपक गोयल, महेश मीणा, सुरेश गुर्जर, हेमराज चौधरी, रूप लाल सैनी, दिव्या खत्री, राक्षिता, सोमेश्वर, दीक्षा, सलीम, सरफूदीन, शुभम सिंह समेत कई कर्मचारियों ने मतदाता दिवस की शपथ लेकर आमजन को देश के विकास के लिए आगामी दिनों में होने वाले चुनावों में मतदान करने की अपील की।

हिट एंड रन का आरोपी गिरफ्तार

अजमेर. कासं। कोतवाली थाना क्षेत्र में पिछले सप्ताह तेज रफ्तार व लापरवाही से कार चलाकर युवक को टक्कर मारने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी दिनेश कुमार चौधरी ने बताया कि 19 जनवरी को आगरा गेट पर भगत पान भंडार के पास सड़क के किनारे अपने दोस्त से बात करते हुए पंकज व्यास को एक युवक ने तेज रफ्तार कार चलाकर युवक को टक्कर मार दी थी। जिसका उपचार नेहरू अस्पताल में चल रहा है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जिसके आधार पर पुलिस ने छानबीन करके शास्त्री कालोनी पुष्कर रोड निवासी गौरव सिंह उर्फ राघव सिंह पुत्र सतीश सिंह ने तेज रफ्तार अपनी कार एसयूवी को लापरवाही से चला कर टक्कर मारी थी। जिस पर आरोपी के खिलाफ हिट एंड रन का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी युवक गौरव सिंह को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया।

ट्रेनों में एवं स्टेशनों पर आरपीएफ जवान मुस्तैदी से कर रहे गश्त

कोटा. कासं। मंडल में गणतंत्र दिवस एवं दिल्ली विधान सभा चुनाव के मद्देनजर रेल यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रेल सुरक्षा बल के जवान चौबीस घंटे अनियमित संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। ट्रेनों एवं स्टेशनों पर गश्त, स्वान दस्तामय चेकिंग, मार्च पास्ट, बैग चेकिंग, विष्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन की विशेष रूप से चेकिंग की जा रही है। मंडल के स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से भीड़ पर एवं संदिग्ध लोगो पर लगातार नजर रखी जा रही है।

विधानसभा अध्यक्ष देवनानी की पहल पर विधान सभा में राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर दो दिवसीय युवा संसद

स्वस्थ, सुरक्षित और हरित भविष्य की दिशा में जिम्मेदारी से बढ़ाएं कदम: देवनानी

देवनानी ने कहा पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा के साथ क्रियान्विति के लिये ब्लू प्रिंट तैयार करें

जयपुर. कंचन केसरी

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर दो दिवसीय युवा संसद आरंभ हुई। देवनानी ने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आये दो सौ से अधिक युवाओं के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर आयोजित युवा संसद का शुभारम्भ किया। विधान सभा अध्यक्ष देवनानी ने युवाओं का आवहान किया कि सभी को मिल-जुल कर एक स्वस्थ, सुरक्षित और हरित भविष्य की दिशा में कदम बढाने होगें। इसके लिये देश का भविष्य और वर्तमान युवा को दृढ़ संकल्प के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिये प्रतिबद्व होकर कार्य करने होंगे। उन्होने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा के लिये प्रत्येक व्यक्ति को अपना दायित्व समझना होगा और सजग रहकर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना होगा। तकनीकी ज्ञान के साथ पृथ्वी पर उपलब्ध पानी की हर बूंद के उपयोग का प्रयास करना होगा। देवनानी ने युवाओं से कहा कि पर्यावरण संरक्षण पर राजस्थान विधान सभा के सदन में चर्चा के साथ क्रियान्विति के लिये ब्लू प्रिंट आवश्यक रूप से तैयार करें।

औद्योगिकीकरण एवं वैज्ञानिक नवाचारों के साथ जल, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों से हमें प्रेम करना होगा: विधान सभा अध्यक्ष देवनानी ने शुक्रवार को विधान सभा सदन में राष्ट्र मंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर दो दिवसीय युवा संसद को संबोधित करते हुये कहा कि जल, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन हैं तो मानव जीवन है। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो मानव और धरती का अस्तिव बना रहेगा। देवनानी ने कहा कि औद्योगिकीकरण एवं वैज्ञानिक नवाचारों के साथ जल, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों से हमें प्रेम करना होगा। इसी से हमारे स्वयं के साथ समाज व देश का सुव्यवस्थित विकास हो सकेगा। देवनानी ने आकाशो-शांति, पृथ्वी-शांति, अंतरिक्ष-शांति और सभी जीव जगत की शांति के लिये प्रार्थना करते हुये कहा कि पर्यावरण विषय के इस युवा संसद का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति चेतना बढ़ाना है साथ ही प्राकृतिक संसाधनों एवं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति भी जागरूकता और संवेदनशीलता के साथ हमें अपनी मानवीय जिम्मेदारियों पर समझ बढ़ानी होगी।

भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण के वैज्ञानिक दृष्टिकोण

देवनानी ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारतीय संस्कृति सदैव से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखती आयी है। भारतीय दर्शन में संतुलन और सद्भाव की अवधारणा के साथ पशुओं के प्रति अहिंसा और करूणा का भाव है। उन्होंने कहा कि प्राचीनकाल से ही भारतीय संस्कृति में जल और पेड़ों के संरक्षण के अनेक उपाय बताये जाते रहे है। सिंधु घाटी सभ्यता नदी किनारे विकसित हुई जिसने जल निकास व्यवस्था का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। राजस्थान में सार्वजनिक तालाब, खड़ीन, झालरा, कुंए,बावड़ी आदि अनेक जल संचयन की तकनीकी विधियां आज भी विद्यमान है, जिनसे मरूस्थल को भी जैव समृद्वता मिलती है। देवनानी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सौर,पवन और जल ऊर्जा के विकल्पों को बढ़ावा देने के लिये देश में चलाये जा रहे जल सहेली, स्वच्छ भारत, एक पेड़ माँ के नाम, टिकाऊ जल प्रबंधन जैसे अनेक अभियानों का जिक्र करते हुये कहा कि ऐसे प्रयासों से राष्ट्र सतत विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्व है।

'वायु एवं महाकुंभ एक जादुई सांस्कृतिक यात्रा' का विमोचन

समारोह में विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और राष्ट्र मंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के सचिव संदीप शर्मा ने आदित्य खैवाल और लक्ष्य खैवाल द्वारा लिखित 'वायु एवं महाकुंभ-एक जादुई सांस्कृति यात्रा' पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक बच्चों और युवाओं को शिक्षाप्रद और मनोरंजक तरीके से महाकुंभ मेले के सांस्कृति महत्व को समझाते हुये पर्यावरण संरक्षण के महत्व को उजागर करती है। पुस्तक में कहानियों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के प्रबंधन को समझाया गया है। समारोह को युवा विषयों के विशेषज्ञ आशीष चौहान और समाजसेवी राजेंद्र मीणा ने भी संबोधित किया। स्टूडेंट्स फॉर डवलपमेंट की राष्ट्रीय समन्वयक सुपायल राय ने धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह में देश के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत युवा मौजूद रहे।

बाबा दीप सिंह की स्मृति में सिख समागम अलवर गेट गुरुद्वारे में 25 से 26 को

अजमेर. कासं। गुरुद्वारा श्री दशमेश सत्संग सभा नसीराबाद रोड अलवर गेट के प्रधान सरदार गुरुचरण सिंह गुरूदत्ता, मीत प्रधान सरदार मनजीत सिंह सलूजा, सचिव सरदार जसपाल सिंह बग्गा, मैनेजर सरदार मनजीत सिंह गोल्डी, कोषाध्यक्ष सरदार प्रीतम सिंह दुआ की कमेटी के नेतृत्व में गुरुद्वारे में प्रतिवर्ष की भांति मनाये जाने वाले बाबा दीप सिंह जी की स्मृति दिवस के अवसर पर 25 से 26 जनवरी को तीन दिवान धार्मिक कीर्तन एवं सिख समागम का आयोजन किया जाएगा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार गुरुचरण सिंह और सरदार मनजीत सिंह सलूजा व व्यापारिक महासंघ के रमेश लालवानी ने जानकारी देते बताया है कि सिख समाज के महाबली महा योद्धा शहीद बाबा दीप सिंह के 344वें जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित सिख धार्मिक कीर्तन समागम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण चैपहरा जप तप समागम रविवार 26 जनवरी को प्रातः 10 से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा।

सीकर में गांव को नगरपालिका में शामिल करने का विरोध

सीकर. कासं। राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे नगरीय निकायों के सीमा विस्तार का विरोध होना शुरू हो गया है। शुक्रवार को सीकर जिले की लोसल नगरपालिका की निकटवर्ती ग्राम लोसल छोटी में ग्रामीणों ने आमसभा कर विरोध जताया और चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। बता दें कि लोसल नगरपालिका क्षेत्र का भी सीमा विस्तार किया जा रहा है। जिसके तहत लोसल नगरपालिका क्षेत्र में निकटवर्ती छोटी लोसल ग्राम पंचायत को शामिल किया जा रहा है। जिससे नाराज ग्रामीणों ने छोटी लोसल गांव के मुख्य चौक में सभा की तथा लोसल छोटी ग्राम पंचायत को नगरपालिका में शामिल करने को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत के लोग पंचायत में खुश हैं। लोसल नगरपालिका क्षेत्र में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। बावजूद इसके राजनीतिक पार्टियां अपना स्वार्थ साधने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाकर ग्राम पंचायत को नगरपालिका में शामिल करवाना चाह रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर ग्राम पंचायत को लोसल नगरपालिका क्षेत्र में शामिल किया जाता है तो ग्रामीणों द्वारा आंदोलन किया जाएगा और मतदान का भी बहिष्कार किया जाएगा।

जिला कलक्टर रहे माण्डल व आसींद क्षेत्र के दौरे पर

जिला कलक्टर ने जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का किया औचक निरीक्षण

विद्यालय में मिड डे मील, मनरेगा कार्यों, रीको क्षेत्र हेतु आवंटित भूमि, विभिन्न सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश

भीलवाड़ा. कंचन केसरी

जिला कलक्टर नमित मेहता ने शुक्रवार को जिले के मांडल व आसींद क्षेत्र के दौरे पर रहे। जिला कलक्टर ने माण्डल स्थित नरेगा कार्यो व विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। जिला कलक्टर ने विद्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान कक्षा कक्ष व मिड डे मील के तहत मिल रहे भोजन की जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों से बात कर खाने के गुणवत्ता पूछी व अधिकारियों को मिड डे मील के तहत बेहतर गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने सन्तोकपुरा पंचायत में मनरेगा के तहत चल रहे सड़क कार्य व धुंवाला ग्राम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलक्टर आसींद तहसील के ग्राम पंचायत रूपपुरा में आयोजित कनिष्ठ तकनीकी सहायकों का चारागाह विकास एवं ईएमबी प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे, जहां जिला कलक्टर ने स्थानीय अधिकारियो के प्रयासों को सराहा। कार्यक्रम में कनिष्ठ तकनीकी सहायकों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें और भी क्रिएटिव कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।

देहात भाजपा अध्यक्ष की ताजपोशी की तैयारी

छह दावेदारों में निर्विरोध पर सहमति का प्रयास

अजमेर. कंचन केसरी

अजमेर जिला भाजपा देहात अध्यक्ष के पद पर ताशपोशी की तैयारी अब अंतिम दौर में है। देहात से छह लोगों ने अपना नामांकन दाखिल करके दावेदारी जता दी है, लेकिन इसके बाद भी निर्विरोध देहात अध्यक्ष चुने जाने की कवायद भाजपा हाईकमान की ओर से की जा रही है, जबकि दूसरी ओर सत्ता व संगठन से जुड़े उच्च आसीन पदों तक दावेदार अपना अपना जोड़-तोड़ लगाने में जुटे हुए हैं। राजनैतिक दलों में जोड़-तोड़ का होना और अपने समर्थकों को संगठन के पदों पर आसीन कराए जाने की परम्परा चली आ रही है। सूत्रों के अनुसार अजमेर देहात भाजपा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वालों में मुख्य रूप से जीतमल प्रजापति, पवन जैन, महेन्द्र सिंह मंझेवला, सुभाष वर्मा व आशीष सांढ शामिल हैं। इसी बीच ब्यावर के ब्रदी सामरिया का नाम चर्चा में आया था, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन दाखिल नही किया। इससे जाहिर होता है कि उन्होंने इस चुनाव से अपने आप को अलग कर लिया है। भाजपा हाई कमान का मत है कि चुनाव की स्थिति को टाला जाए और निर्विरोध अध्यक्ष का चयन कर लिया जाए। इसके लिए शनिवार को सहमति बनाए जाने का प्रयास किया जाएगा। सहमति के बाद हो सकता हैं शनिवार की शाम तक देहात भाजपा के अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाए। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए सांसद व केन्द्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी और केबिनेट मंत्री पुष्कर के विधायक सुरेश सिंह रावत के समर्थकों के बीच रस्साकसी का महौल चल रहा है। भाजपा को संगठन की एकता के लिए दोनो के बीच उचित तालमेल के प्रयास करने होंगे। सुना जा रहा हैं कि भागीरथ चौधरी के समर्थक का अध्यक्ष के रूप में चयन किया जाता है तो महासचिव के तौर पर केबिनट मंत्री सुरेश सिंह रावत के समर्थक को देहात भाजपा में स्थान दिया जाएगा।

बिल्डर के सीए के घर मिला 15 करोड़ कैश

7 किलो गोल्ड भी मिला;अलवर में त्रेहान ग्रुप से जुड़े लोगों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई

अलवर. कासं। त्रेहान बिल्डर के सीए सुमित गुप्ता के यहां चल रही इनकम टैक्स की कार्रवाई में अब तक 15 करोड़ कैश और 7 किलो सोना मिल चुका है। इनकम टैक्स की 23 टीमें त्रेहान ग्रुप से जुड़े 3 लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई करने पहुंची थी। इसमें अपना घर शालीमार में स्थित सीए सुमित गुप्ता भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, इनकम टैक्स विभाग को त्रेहान ग्रुप में बड़ी मात्रा में कैश के लेन-देन की सूचना थी। इसके बाद त्रेहान ग्रुप से जुड़े सीए गुप्ता, अशोक सैनी और कुलदीप कालरा के घर सुबह 7 बजे एक साथ रेड डाली। सीए गुप्ता के यहां इनकम टैक्स विभाग के 10 अधिकारी और कर्मचारी सर्च कर रहे थे। यहां से कैश, गोल्ड, डॉक्युमेंट्स भी मिले हैं।

फाइलें खंगाल रही टीम: अलवर शहर में टेल्को चौराहे से आगे तिजारा रोड पर त्रेहान ग्रुप की सबसे बड़ी अपना घर शालीमार आवासीय सोसाइटी है। इसी इलाके में बड़ी संख्या में प्लॉट भी काटे गए हैं। वहीं त्रेहान ग्रुप के अलवर ऑफिस पर भी टीम के पहुंचने की सूचना है। सब जगहों से त्रेहान ग्रुप के कामकाज की फाइलों को ढूंढ़ा गया। आयकर विभाग की 23 टीमें कार्रवाई में जुटी हैं। एक टीम में 4 से 5 अधिकारी हैं। पुलिस अलग है। इस तरह चार से पांच जगहों पर इनकम टैक्स के करीब 100 अधिकारी और कर्मचारी एक साथ रेड डालने पहुंचे थे। जयपुर से भी अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मंगवाया गया था। इसके अलावा जोधपुर और श्रीगंगानगर से भी अलग-अलग टीमें आई हैं।

जिला कलेक्टर और एसपी ने किया विद्यार्थियों से संवाद

बीकानेर. कंचन केसरी। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि और पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर ने तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य, करियर जैसे विषयों पर विद्यार्थियों के साथ खुलकर संवाद किया। मौका था राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शुक्रवार को रवीन्द्र रंगमंच के ओपन थियेटर में आयोजित सांस्कृतिक संध्या का। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने मानसिक स्वास्थ्य, साइबर क्राइम, जेंडर सेंसिटिविटी, करियर , तनाव सहित अन्य विषयों पर अपने सवाल रखे। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्र-छात्राओं के सवालों पर विस्तार से जवाब दिये। एक बालिका के सवाल पर जिला कलेक्टर वृष्णि ने कहा कि जीवन में सफलता हासिल करने के लिए छोटे-छोटे लक्ष्य बनाएं, रूपरेखा बनाकर उसके अनुरूप आगे बढ़ें।

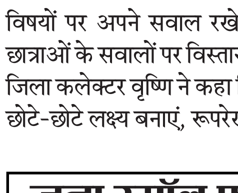

अचल संपत्तियों की बिक्री की ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड (पूर्वतः इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (आईआईएफएल एचएफएल) **कार्पोरेट कार्यालयः** प्लॉट नंबर 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुरूग्राम-122015 (हरियाणा) तथा **शाखा कार्यालयः भू तल तहसील तिजारा के पास वार्ड नंबर 4 तिजारा जिला अलवर राजस्थान-480334** के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे ''अधिनियम'' कहा गया है) के तहत। जबकि आईआईएफएल - एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी (''एओ'') ने निम्नलिखित ऋण खातों/प्रॉस्पेक्टर नंबर्स में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत निम्नवर्णित सम्पत्ति/सम्पत्तियों का कब्जा उनको आईआईएफएल - एचएफएल की बकाया राशि की वसूली के लिए ''जैसी है जहां है, जैसी है जो है तथा कोई वापसी नहीं आधार'' पर बेचने के अधिकार सहित प्राप्त कर लिया था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री वेबसाइटः **www.iiflonehome.com** पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

कर्जदार/ सह-कर्जदार/ गारंटर	मांग सूचना तिथि और राशि	अचल सम्पत्ति/ प्रतिभूत आस्ति का वर्णन	भौतिक कब्जा की तिथि	सुरक्षित मूल्य
1. श्रीमती सुमन 2. श्रीमती नेहा तंवर 3. श्री संजीव कुमार 4. रिया ब्यूटी पार्लर एंड कोस्मेटिक (प्रॉस्पेक्ट नंबर IL10329797, IL10398106)	09-जनवरी-2024 रुपए 15,17,703/-(रूपए पंद्रह लाख सत्रह हजार सात सौ तीन मात्र) बोली वृद्धि राशि रुपए 20,000/- (रुपए बीस हजार मात्र)	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंडः** फ्लेट नंबर एन-408, चौथी मंजिल, एन, शुभ गृह, खसरा नंबर 194, 195, 197 व 198, ग्राम नीमराना, तहसील नीमराना, अलवर, राजस्थान 301705, परिमाप क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): संपत्ति प्रकारः विक्रय क्षेत्र, कारपेट एरिया, सुपर बिल्ट अप एरिया, संपत्ति क्षेत्रः 433.00, 322.00, 449.17	21-दिसम्बर-2024 09-जनवरी-2025 तक कुल बकाया राशि रुपए 17,96,615/- (रूपए सत्रह लाख छियानवे हजार छः सौ पंद्रह मात्र)	रुपए 6,47,000/- (रूपए छः लाख सैंतालीस हजार मात्र) धरोहर राशि जमा (ईएमडी) रुपए 64,700/- (रूपए चौसठ हजार सात सौ मात्र)

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि	ईएमडी अंतिम तिथि	ई-नीलामी की तिथि/समय
24-फरवरी-2025 1100 बजे-1400 बजे	27-फरवरी-2025 अपराह्न 5 बजे तक	03-मार्च-2025 1100 बजे-1300 बजे

भुगतान की विधिः ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन विधि से करने होंगे। भुगतान करने के लिए आप https://www.iiflonehome.com पर जाएं और केवल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करें। नोटः हर सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति के लिए एक अलग भुगतान लिंक है। आप सुनिश्चित करें कि आप उस सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति का लिंक उपयोग कर रहे हैं, जिसको आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं।
शेष भुगतान के लिए-लॉगिन करें https://www.iifonehome.com › मेरी बोली › शेष राशि का भुगतान करें।

नियम और शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना विवरण सेवा प्रदाता https://www.iiflonehome.com के पास पर्याप्त अग्रिम में पंजीकृत करवाना होगा तथा लॉगइन खाता, लॉगइन आईडी और पासवर्ड सृजित करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपना ''निविदा फार्म'' ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी तथा पैन कार्ड की प्रति के साथ उपरिवर्णित शाखा कार्यालय में जमा/प्रेषित करना होगा।
2. बोलीदाता अपनी ऑफर कालम ''बोली वृद्धि राशि'' में वर्णित राशि के गुणजों में बढ़ा सकते हैं। नीलामी समाप्त होने से 5 मिनट पहले कोई बिड आने पर समाप्ति का समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा।
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि (ईएमडी समायोजन के बाद) एओ द्वारा बोली मूल्य स्वीकार करने के 24 घंटे के भीतर और बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि प्रतिभूत लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी। सभी जमा और भुगतान निर्धारित विधि से करने होंगे।
4. खरीदार को सम्पत्ति के साथ संबंधित उपकर, लागू स्टाम्प ड्यटी, फीस तथा अन्य कानूनी बकाया अथवा अन्य बकाया जैसे कि म्युनिसिपल कर, बिजली प्रभार, भूमि तथा अन्य सभी अनुषंगी लागतें, प्रभार सभी करों तथा उपकरों सहित वहन करने होंगे।
5. खरीदार को बिक्री राशि के लेनदेन/भुगतान के लिए टीडीएस आवेदन का भुगतान करना होगा और आईआईएफएल एचएफएल को टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
6. **बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों तथा आवेदन प्रपत्र के लिए वेबसाइट https://www.iiflonehome.com तथा https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखने की सलाह दी जाती है।**
7. **विस्तृत विवरण, सहायता प्रक्रिया तथा ई-नीलामी के संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ई-मेल आईडीः care@iiflonehome.com, सपोर्ट हेल्प लाइन नंबरः @ 1800 2672 499 से सम्पर्क कर सकते हैं।**
8. **किसी सम्पत्ति विवरण, सम्पत्ति निरीक्षण और ऑनलाइन बिड इत्यादि के संबंध में पूछताछ के लिए आईआईएफएल एचएफएल टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच 09.30 बजे से 18.00 बजे तक कॉल करें अथवा ई-मेलः care@iiflonehome.com को मेल लिखें।**
9. एतद्द्वारा उपरोक्त कर्जदारों को सूचना दी जाती है कि भौतिक कब्जा लेते समय प्रतिभूत आस्ति में रखी घरेलू वस्तुएं 7 दिन के भीतर हटा लें, अन्यथा आईआईएफएल एचएफएल परिस्थितियों के अधीन सम्पत्ति की किसी क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
10. एतद्द्वारा कर्जदारों को आगे सूचना दी जाती है कि उपरोक्त वस्तुएं प्राप्त करने में चूक की स्थिति में उनको विधि सम्मत ढंग से बेचा जाएगा।
11. सफल बोलीदाता/नीलामी खरीदार द्वारा किसी भी चरण में निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले जमा की जा चुकी राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति की बिक्री दोबारा की जाएगी।
12. एओ के पास बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी स्थगित/निरस्त करने या नियम एवं शर्तों में संशोधन करने का अधिकार है। निविदा/नीलामी के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक 30 दिनों का बिक्री नोटिस

कर्जदार को अधिसूचित किया जाता है कि उपरिवर्णित राशि अद्यतन ब्याज और अनुषंगी खर्चों के साथ निविदा/नीलामी की तिथि से पहले कर दें, जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी।

स्थानः अलवर **तिथिः** 25-जनवरी-2025 — हस्ता./- **प्राधिकृत अधिकारी**, आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड

जना स्मॉल फाइनैंस बैंक
(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालयः दि फेयरवे, भू तल एवं प्रथम तल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क से सटा, चाल्लाघट्टा, बेंगलुरू-560071 शाखा कार्यालयः जी-2, भू तल, ग्रीन हाऊस, प्लॉट नंबर ओ-15, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001

ई-नीलामी सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रवर्तन अधिनियम (सरफासी ऐक्ट), 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) एवं 9 के परंतुक के तहत ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

अधोहस्ताक्षरी ने **जना स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, सरफासी ऐक्ट की धारा 13(4) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नवर्णित खाते में बंधक सम्पत्ति की **''जैसी है जहां है आधार''** तथा **''जो है जैसी है आधार''** पर ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) यहां नीचे निर्धारित तिथि को की जाएगी।

क्र.सं.	ऋण खाता संख्या	मूल कर्जदार/सह- कर्जदार /गारंटर का नाम	13-2 सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि	वर्तमान बकाया राशि 23-01-2025 तक	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	सुरक्षित मूल्य भारतीय रूपए में	धरोहर राशि जमा (ईएमडी) भारतीय रूपए में	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	बोली प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि, समय और स्थान
1	30799420000652	1) श्री अजीज पुत्र रजाक (आवेदक), 2) श्री रजाक पुत्र श्री बांदा (सह-आवेदक)	05-09-2024	25-11-2024	रुपए 6,41,079.80 (रुपए छः लाख इकतालीस हजार उनियासी व अस्सी पैसे मात्र)	13.02.2025 पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 05:00 बजे तक	रुपए 4,32,000/- (रुपए चार लाख बत्तीस हजार मात्र)	रुपए 43,200/- (रुपए तियालीस हजार दो सौ मात्र)	17.02.2025 @ पूर्वा. 11:00 बजे	15-02-2025 अप. 05.00 से पूर्व जना स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय पताः जी-2, भू तल, ग्रीन हाऊस, प्लॉट नंबर ओ-15, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001
	सम्पत्ति का विवरणः समस्त अंश व खंडः अचल संपत्ति कृषि चक भूमि खसरा संख्या 231, प्लॉट संख्या 101, शिव वाटिका योजना, ग्राम मेलावास, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर, राजस्थान। परिमाप 88.88 वर्ग गज। **श्री अजीज पुत्र रजाक द्वारा स्वाधिकृत। सीमाबद्धः पूरबः** सड़क, **पश्चिमः** प्लॉट संख्या 98, **उत्तरः** प्लॉट संख्या 100, **दक्षिणः** प्लॉट संख्या 102									

सम्पत्तियां **''जैसी है जहां है आधार''** तथा **''जो है जैसी है आधार''** पर ई-नीलामी 'ऑनलाइन'' संचालित की जाएगी। नीलामी का संचालन बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता **मैसर्स 4 क्लोज़र** द्वारा वेबपोर्टल **https://bankauctions.in & www.foreclosureindia.com** पर किया जाएगा। अधिक जानकारी, सहायता, ई-नीलामी प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण, के लिए संभावित बोलीदाता **मैसर्स 4 क्लोज़र** से सम्पर्क कर सकते हैं; **सम्पर्क श्री उत्कर्ष अदेश, सम्पर्क नंबर:** 9515160064 ई-मेल आईडीः **info@bankauctions.in / adesh@bankauctions.in**
ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नियमों एवं शर्तों के अतिरिक्त विवरण के लिए तथा सम्पत्ति के संबंध में पूछताछ के लिए कृपया **जना स्माल फाइनैंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें श्री अनुराग शुक्ला (मो. 8090655550), श्री रंजन नाइक (मो. 6362951653),** प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार सम्पत्तियों पर कोई ऋणभार नहीं है। तथापि इच्छुक बोलीदाता को अपनी बोली देने से पहले सम्पत्ति पर ऋणभारों तथा स्वामित्व के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच स्वयं कर लेनी चाहिए। सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। यह सूचना उपरोक्त नामक कर्जदारों/गारंटरों/बंधकदाताओं को बंधक सम्पत्तियों हेतु अनुसूचित ई-नीलामी के बारे में नोटिस भी है। कर्जदारों/गारंटरों/बंधकदाताओं को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपरिवर्णित राशि का भुगतान अद्यतन ब्याज तथा अनुषंगी खर्चों के साथ नीलामी की तिथि से पहले कर दें, जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति बेच दी जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई, ब्याज एवं लागत के साथ वसूल की जाएगी।

तिथि: 25-01-2025, स्थानः राजस्थान — **हस्ता./-, प्राधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड**